



प्रेस नोट दिनांक 14.04.2026

थाना सिरौली जनपद बरेली।

थाना सिरौली #bareillypolice द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 01 अभियुक्त को 30प्र0 गुण्डा नियन्त्रण की धारा 3(1) के अन्तर्गत 03 माह के लिये जनपद बरेली से बाहर की सीमा पर छोड़कर जिला बदर किया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 13.04.2026 को थाना सिरौली पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बरेली के आदेश दिनांक 20-03-2026 के अनुपालन में **अभियुक्त पुष्पेन्द्र पुत्र रोहताश निवासी ग्राम शिवपुरी थाना सिरौली जिला बरेली उम्र 40 वर्ष** को 30प्र0 गुण्डा नियन्त्रण की धारा 3(1) के अन्तर्गत 03 माह के लिये जनपद बरेली से बाहर रहने का आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में थाना सिरौली, बरेली पुलिस द्वारा अभियुक्त पुष्पेन्द्र उपरोक्त को जनपद बरेली की सीमा के बाहर थाना शाहबाद, जनपद रामपुर, 30प्र0 की सीमा पर छोड़ा गया व हिदायत दी कि 03 माह के अन्दर जनपद में प्रवेश नहीं करेगा।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मुकदमा अपराध सख्या 199/2016 धारा 364 भादवि थाना सिरौली जनपद बरेली
2. मुकदमा अपराध सख्या 220/2020 धारा 302/120बी/323/504/506 भादवि थाना सिरौली जनपद बरेली
3. मुकदमा अपराध सख्या 338/2020 धारा 2/3 गैगस्टर अधिनियम थाना सिरौली जनपद बरेली
4. मुकदमा अपराध सख्या 84/2022 धारा 504/506 भादवि थाना सिरौली जनपद बरेली
5. मुकदमा अपराध सख्या 41/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सिरौली जनपद बरेली

पुलिस टीम का विवरण:-

1. 30नि0 श्रीपाल सिंह थाना सिरौली जिला बरेली
2. हे0कां0 432 सत्यदेव थाना सिरौली जिला बरेली
3. कां0 3430 आदित्य जावला थाना सिरौली जिला बरेली